न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/81/2021

वेदप्रकाश शर्मा पुत्र अजने सिंह निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.10.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वेदप्रकाश शर्मा पुत्र अजने सिंह निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2021 को प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/619 दिनांक 29.09.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संवध प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर से पत्र कमांक/74-75 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर से प्राप्त जवाव पत्र कमांक 74-75 दिनांक 12.10.2021 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र कमांक 74-75 दिनांक 12.10.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर